कार्यालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जालोर (राज.)

कमांकः स्टोर/2017/ 62 दिनांकः– 1/6/17

नीलामी–सूचना (विस्तृत)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय का अनुपयोगी निम्नलिखित सामान (जहां है, जैसी है की स्थिति में) की नीलामी सार्वजनिक बोली के आधार पर दिनांक 22.6.17.को प्रातः 9.30 एएम से 12.30 पीएम तक कार्यालय प्रांगण में नीलामी कमेटी द्वारा की जावेगी। नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक बोलीदाता निम्नानुसार अमानत राशि दिनांक 22.6.17 को नगद/बैंकर चैक/डीडी द्वारा प्रातः 9.00 एएम तक जमा करानी होगी।

क.सं.	सामग्री का विवरण	अनुमानित मात्रा	अनुमानित मूल्य	अमानत राशि
1	खंडे, पत्थर की पट्टियां 8/10/11 फीट एवं आसलेट विभिन्न साईज के (कार्यालय भवन तोडने से छत से उतारी गयी)	702 CUM-670 नग एवं 260 नग (लगभग)	5,92,925/–	25,000/–
2	लोहे के गर्डर विभिन्न साईज के	21	1,37,825/–	6,000/–
3	लोहे एवं लकडी की खिडकी, दरवाजे, ग्रिल, जीआई सीट एवं अन्य लोहे एवं लकडी का सामान (पाईप इत्यादि)		2,05,310/–	8,000/–

नीलामी की शर्ते एवं अन्य विवरणः–

1. नीलामी बोली में भाग लेने वाले बोलीदाता को निर्धारित समय तक अमानत राशि जमा करवानी होगी। बिना अमानत राशि जमा कराये नीलामी में बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी। सफल बोलीदाता को छोडकर शेष को अमानत राशि बोली समाप्ति पर लौटा दी जायेगी। सफल बोलीदाता की अमानत राशि समायोजित कर दी जावेगी।
2. सामान जैसा है, जिस हालत में है, नीलाम किया जायेगा। सामग्री का अवलोकन कार्यालय परिसर में कार्यालय समय में किया जा सकता है।
3. न्यूनतम बोली नीलामी कमेटी द्वारा निर्धारित की जावेगी।
4. उच्चतम सफल बोलीदाता को अगले दिन नीलामी की सम्पूर्ण राशि मय वेट इत्यादि यदि हो तो, जमा करवानी होगी। उच्चतम बोलीदाता द्वारा नीलामी की सम्पूर्ण राशि जमा नहीं करवाने पर अमानत राशि जब्त कर दी जायेगी। सामग्री नहीं उठाने की स्थिति में सामग्री की सुरक्षा बोलीदाता को करनी होगी।
5. सामग्री हटाने की मजदूरी एवं अन्य समस्त खर्चा खरीददार का होगा।
6. नीलामी बोली न्यूनतम सरकारी बोली से शुरू होगी और संतोषजनक बोली प्राप्त होने पर ही अंतिम निर्णय लिया जायेगा।
7. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र जालोर रहेगा।
8. कम संख्या–1 पर अंकित आईटम बोली स्वीकृति के 10 दिवस व कम संख्या–2 से 3 पर अंकित आईटम 5 दिवस में हटाने होंगे।
9. नीलामी कार्यवाही को स्वीकृत/स्थगित/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नीलामी कमेटी के पास रहेगा।

जिला एवं सैशन न्यायाधीश,
जालोर